


अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर  
जमाबंदी प्रमाण-पत्र

पत्रांक 1555

दिनांक 9.12.17

राजस्व कर्मचारी श्री सुदामा राम, हल्का संख्या-III के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में प्रमाणित किया जाता है, कि गोविन्दपुर अंचल अन्तर्गत मौजा-सुसनीलेवा, मौजा सं०-88 के पंजी II के अनुसार खाता सं०-02, प्लॉट सं०-320,324, 335, रकवा-6.61 डी० भूमि का जॉच हल्का में उपलब्ध राजस्व कागजातो से किया। जॉचोपरान्त पाया कि उक्त भूमि गतसर्वे खतियान के अनुसार रैयती खाते की है। मौजा-सुसनीलेवा के पंजी II में जमाबंदी संख्या-1124 में जमाबंदी रैयत श्री सुशील कुमार सिंह चौधरी, पिता स्व० बलभद्र सिंह चौधरी, प्राधिकार कॉलम में लगान 3.00 (तीन) रुपये दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में दाखिल खारिज केश नं०-870(III)16-17 इन्द्राज हैं एवं लगान रसीद वर्ष 2016-17 तक वसूल है। आवेदित भूमि रैयती खाते की है।


  
अंचल अधिकारी  
गोविन्दपुर

ज्ञापांक 1555 दिनांक 9.12.17

प्रतिलिपि- सुशील कुमार सिंह चौधरी, पिता-स्व० बलभद्र सिंह चौधरी, साकिम-खरनी, थाना-बरवाअड्डा, जिला-धनबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला अवर निबंधक धनबाद/अवर निबंधक गोविन्दपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



  
अंचल अधिकारी  
गोविन्दपुर